बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

सं०सं०-स०क०निग०-274/2025-...../जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-968-1/गो० दिनांक-28.07.2025 द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेखित है कि दिनांक-24.07.2025 को जिला पदाधिकारी, सुपौल के संज्ञान में यह बात आई कि श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं से अवैध राशि की माँग की जा रही है तथा दिनांक-24.07.2025 को राशि कार्यालय में हीं देने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा तत्क्षण कार्यालय के पत्रांक-960-1/गो० दिनांक-24.07.2025 द्वारा श्री इन्द्रवीर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं श्रीमती ज्योति गामी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपौल सदर को संयुक्त रूप से जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-463/सपत्र दिनांक-25.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-24.07.2025 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, सुपौल की जाँच। छापेमारी की गई। जिसमें नगद राशि प्राप्त होने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपौल सदर के द्वारा श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल एवं श्री चंदन कुमार, कार्यपालक सहायक के विरुद्ध स्थानीय सुपौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

दर्ज सुपौल थाना काण्ड सं०-384/25 दिनांक-24.07.2025 धारा-7(A)(B)/P.C act में उक्त दोनों प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक-25.07.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नवनियुक्त पर्यवेक्षिकाओं यथा-1. रंजना कुमारी, 2. पूनम कुमारी, 3. विभा देवी ने स्वीकार किया है कि स्थायी नियुक्ति के लिए क्रमशः 24,000/-, 25000/-, 25000/- रुपये एवं अन्य पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा घुस के रूप में श्रीमती सिन्हा एवं श्री चंदन कुमार को दिया है। तलासी के क्रम में श्रीमती सिन्हा के पर्स से कुल-19200/- रु० एवं उनके कार्यालय से 171000/- रु० की बरामदगी हुई।

उक्त के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-6160 दिनांक-14.08.2025 द्वारा श्रीमती सिन्हा को निलंबित की गई तथा कालांतर में विभागीय अधिसूचना संख्या-4143 दिनांक-27.07.2026 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

उक्त कृत के लिए श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध विभाग द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2245, दिनांक-11.05.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। जिसके आलोक में श्रीमती सिन्हा के पत्रांक-शून्य दिनांक-02.06.2026 द्वारा लिखित अभिकथन विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अतः बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अंतर्गत श्रीमती शोभा सिन्हा के विरुद्ध उक्त आरोपों की जाँच के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करते हैं तथा आदेश देते हैं कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से उनके विरुद्ध आरोपों की जाँच की जाय। आरोपों का विवरण जिसके संबंध में जांच किया जाना एवं संबंधित साक्ष्यों का विवरण संलग्न आरोप-पत्र में उल्लिखित है।

(2) बिहार के राज्यपाल के आदेश से श्रीमती शोभा सिन्हा के विरुद्ध इस अनुशासनिक कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)

तथा नियम-17(5)(क) एवं (ग) के अंतर्गत मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

(3) श्रीमती शोभा सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिकृत दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हो तथा अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती शोभा सिन्हा को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका-(3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित अभिकथन संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निहित निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) उनके विरुद्ध एक पक्षीय जांच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों तथा सुसंगत अभिलेखों की मूलप्रति) सहित मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (जांच पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों तथा सुसंगत अभिलेखों की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती शोभा सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-274/2025- पटना-15 दिनांक :-

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग-सह-उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

(3) प्रतिलिपि:- श्रीमती शोभा सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति सीतामढ़ी को आरोप पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-274/25- 5954 पटना-15 दिनांक :- 16.10.2026

निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०निग०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषाकार पदाधिकारी/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी/तिरहुत/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/सीतामढ़ी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल/सीतामढ़ी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।